

04.10.2024:-यह पत्रावली माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 526 से जारी होकर प्राप्त हुई। पत्रवली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी ने अपना मूल वाद पत्र विद्धा कर लिया गया है। इसलिए मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

गण
सहायक कलक्टर
पुर्व उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

